

# फर्द अहकाम

## नियम 26

क्र. 282  
8.11.11

अज अदालत अखण्डाधिकार मुकाम भाड़ा  
 किस्म मुकदमा ध.स. 188 R.T. 1987 बिनाम रामधनु भाड़ा  
 नं० 846/11 सन् 2011  
24-11-11

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख फर्द अहकाम की हुक्म की तामील जारी हुआ
24/11/11	<p>भाड़ा अखण्डाधिकार वकील वकीलान की अर्ज के प्रस्ताव पर विचार के बाद अखण्डाधिकार द्वारा हुक्म किया जाये। अखण्डाधिकार को जिनमें समान नोटिस आया उसके विचारों को ध्यान में रखकर अखण्डाधिकार को फर्द जारी किया जाये।</p>	<p>नोटिस जारी 8-11-11</p>

पत्रावली पेश हुई वार सचं का  
कार्य स्थगित है। गत आदेशानुसार  
पत्रावली दिनांक 15/12 को पेश हो।

पत्रावली पेश हुई वार सचं का  
कार्य स्थगित है। गत आदेशानुसार  
पत्रावली दिनांक 15/12 को पेश हो।

*[Handwritten signature]*

15<sup>12</sup>  
17 पत्रावली पेश हुई। वही गण एवं वकील  
वकील को पत्र का काका का कार्य नहीं  
कोई उपभोग नहीं काम का पत्र वकील  
कहा जायगी कहा पेडी के लकीर की  
जारी की पत्रावली नहीं के कप धारा  
दस्तावेज वही।

*[Handwritten signature]*  
सहायक कलक्टर  
(फास्ट ट्रेक) भादरा (हनु)